

ये जो



संविधान-संविधान

चिल्लाते हैं



ये जो



संविधान-संविधान (भाग-1) चिल्लाते हैं

- हालिया कुछ वर्षों से कुछेक कथित बुद्धिजीवीयों (मूलतः कम्युनिस्ट झुकाव के) जिन्हें देश के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का भी समर्थन है द्वारा देश में एक नया विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है
- मूलतः यह विमर्श 2014-19 के बीच देश में एजेंडे के तहत खड़े किए गए असहिष्णुता एवं अवार्ड वापसी जैसे प्रपंचों की अगली कड़ी दिखाई देता है
- जिस के तहत सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों का पुरजोर विरोध कर इसे संवैधानिक अधिकारों एवं संविधान के लिए खतरा बता कर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है
- इसी क्रम में दशकों से भारतीय इतिहास एवं शिक्षा नीति से की गई छेड़छाड़ के विरुद्ध सरकार द्वारा लाई गई नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रस्तावित एनआरसी,
- अखंड भारत का भाग रहे पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो कर आए शरणार्थियों के लिए लाए गए सीएए, धारा 370 की समाप्ति एवं राम मंदिर निर्माण को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बता इसका पुरजोर विरोध किया गया है
- विदेशी वित्तीय पोषण की सहायता से संचालित हुए इन प्रदर्शनों में हाल ही में प्रतिबंधित किये गए संगठन पीएफआई, कम्युनिस्ट झुकाव वाले छात्र इकाइयों एवं राजनीतिक दलों की भी गहरी संलिप्तता रही है.....

ये जो



संविधान-संविधान

भाग - 2 (MODUS OPERANDI) चिल्लाते हैं

- संविधान के नाम पर हो रहे इस तरह के सभी प्रदर्शनों अथवा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की एक निश्चित शैली अथवा पैटर्न है
- इस क्रम में भारत जैसे विशाल देश में अपवाद स्वरूप घटी किसी भी एक्का-दुक्का घटनाओं जिसमें की पीड़ित व्यक्ति अथवा समूह अल्पसंख्यक समुदाय अथवा वंचित वर्ग का हो उसे आधार बनाकर कम्युनिस्ट छात्र इकाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शनों की शुरुवात की जाती है
- देखते- देखते इन्ही प्रदर्शनों के आधार पर कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों का वर्ग समाचारपत्रों में इस घटना एवं प्रदर्शनों को जोड़ कर सहिष्णुता अथवा उदारता का राग अलापते इसे संविधान की मूल भावना पर आघात बताता है
- अगले चरण में यही कथित बुद्धिजीवी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होकर अपनी सहानभूति जताते हैं
- अगले चरण में विरोध प्रदर्शनों में सुनियोजित षड़यंत्र के तहत हिंसा अथवा अलगाववादी नारे लगा कर पुलिस को कार्यवाही के लिए बाध्य किया जाता है और जब अंततः पुलिस बाध्य होकर कार्यवाही करती है तो
- इसी कार्यवाही को आधार बनाकर यह पूरा तंत्र एक स्वर में देश में संविधान पर खतरा होने की बात करता है जिसे कम्युनिस्ट झुकाव वाला अंतरराष्ट्रीय मीडिया तंत्र हाथों हाथ उठाता है,
- इस पूरे प्रपंच की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कथित मानवाधिकार संगठनों एवं कम्युनिस्ट झुकाव वाले राजनेताओं द्वारा देश को अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षित बता इसका ठीकरा हिंदुत्व के विचार पर फोड़ दिया जाता है

ये जो



संविधान-संविधान

भाग - 3 (क्या हैं इनका उद्देश्य) चिल्लाते हैं

- संविधान पर खतरा बता राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने के इस प्रयास में मूलतः तीन विचारधाराओं/समुहों की सांठगांठ है जिनके दीर्घकालिक रूप से अपने अपने उद्देश्य हैं
- इनमें से एक धड़ा उन शक्तिशाली परिवारों अथवा राजनीतिक दलों की है जो तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से सत्ता में अपनी पकड़ बनाये रखना चाहते हैं
- इनका उद्देश्य ऐसे प्रपंच गढ़ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मलिन कर लोकसभा/विधानसभा चुनावों में उसका प्रत्यक्ष लाभ लेना है इसमें जात पात की राजनीति करने वाले कई क्षेत्रिय दलों समेत कई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भी अहम भूमिका है
- दूसरा धड़ा उन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का है जो भारत में इस्लामिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं इसमें हाल ही में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई समेत कई चरमपंथी संगठनों की संलिप्तता है जो इस पूरे प्रपंच में अल्पसंख्यक विक्टिम कार्ड खेलने की धुरी रहे हैं
- अंतिम एवं सबसे अहम धड़ा माओवाद/माक्सवाद अर्थात कम्युनिस्ट विचार के संगठनों/समुहों का है, इस पूरी परिपाटी के ये केंद्र बिंदु हैं, योजना से लेकर क्रियान्वयन, अंतरराष्ट्रीय प्रचार प्रसार सब इनकी ही उपज है
- इनका दीर्घकालिक लक्ष्य भारत को टुकड़ों में विखंडित करना अथवा "लाल किले पर लाल निशान" स्थापित कर भारत को चीन के तर्ज पर कम्युनिस्ट राज्य घोषित करना है
- इन सबके लक्ष्यों की अभिपूर्ती में संविधान से मिली लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बड़ा रोड़ा है इसलिए किसी भी परिस्थिति में यह एक ऐसी शक्ति को सत्ता के केंद्र में नहीं देखना चाहते जो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पित हो
- इस क्रम में विरोध का सबसे सहज मार्ग संविधान पर खतरा बताना है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि बात बात पर संविधान खतरे में आ जाता है